मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 29 / 2022

1. शिवरतन सिहाग पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र लाधूराम जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. इन्द्रा पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— — प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 27/1/2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की और से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 27/1/2022 को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित भूमि चक नं. 22 जेआरके के खाता सं. 101 के प.नं. 34 / 250, 35 / 250 की कुल 5.284 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 1 / 2 हिस्सा का वादीगण को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार हो [illegible] तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27/1/2022 को मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:51:49 IST
Reason: SelfAttested

27.01.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा